राजस्थान सरकार
युवा मामले एवं खेल विभाग

''नवीन राज्य युवा नीति''

(प्रस्तावित अनावरण मसौदा)

विषय सूची

1. प्रस्तावना

2. युवाओं की परिभाषा एवं महत्व

3. राज्य युवा नीति का विजन

4. राज्य युवा नीति का उद्देश्य

5. नीति के मूल आधार एवं प्राथमिकता क्षेत्र और भावी आवश्यकताएं

6. क्रियान्वयन प्रणाली

7. भावी कार्य योजना

8. मूल्यांकन एवं समीक्षा

9. संदर्भ

‘नवीन राज्य युवा नीति‘‘

(प्रस्तावित अनावरण मसौदा)

राजस्थान राज्य के युवाओं को अपनी पूर्ण क्षमताओं को विकसित करने, सशक्त बनाने के लिए कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर उनके माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में उनको सही स्थान दिलाने के उद्देश्य से राज्य में बेरोजगार युवाओं की सहायता हेतु ‘‘नवीन राज्य युवा नीति‘‘ बनाया जाना प्रस्तावित है।

राष्ट्र व राज्य का भविष्य युवाओं से जुड़ा होता है, इसी संदर्भ में विश्व स्तर पर युवाओं के विकास एवं उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए युवा नीतियाँ बनती रही है, जो युवाओं की बदलती स्थितियों को दर्शाती है। इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य देश व राज्य के विकास में युवाओं की भागीदारी बढाना है।

राजस्थान राज्य की ‘‘किशोर एवं युवा नीति‘‘– 2008 को परिवर्तित करते हुए राजस्थान ‘‘राज्य युवा नीति‘‘– 2013 बनाई गई थी, अब जो ‘‘नवीन युवा नीति‘‘ बनगी उसमें इक्कीसवीं सदी में युवाओं की बदलती महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उनके सर्वांगीण विकास की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करती है। साथ ही इस नीति में खेलकूद, रोजगार और रोजगार क्षमता पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इसके लिए सभी विभागों में युवा विकास कार्यों को महत्व देने की पहल की जायेगी।

राजस्थान ‘‘राज्य युवा नीति‘‘ में एक तरफ ‘‘युवा‘‘ और दूसरी तरफ ‘‘समुदाय एवं समाज‘‘ में समन्वयन करने में सहयोग करेगी, युवाओं की पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबन्धन में युवाओं की सहभागिता बढ़ाने, उन्हें राष्ट्रीय मूल्यों का वाहक बनाने, राष्ट्रीय एकता सामाजिक सौहार्द की भावना जागृत करने तथा सामाजिक कुरीतियों को निर्मूलन हेतु जागरूकता उत्पन्न करने एवं उसकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जायेगा, इसके परिणामस्वरूप यह युवा नीति प्रदेश का ऐसा वातावरण तैयार करेगी जो युवाओं को अपनी क्षमता, ऊर्जा एवं उत्साह का प्रयोग करने के योग्य बनायेगी। साथ ही युवाओं की सौच सकारात्मक एवं अपने समग्र विकास का अवसर लेकर राष्ट्र का एक आर्दश युवा नागरिक बने सकें।

‘‘राज्य नवीन युवा नीति‘‘ में ‘‘राष्ट्रीय युवा नीति‘‘ को आधार मानकर बनाया जाना प्रस्तावित है।

1. प्रस्तावनाः–

(1) राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करने वाले एवं देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण अवसरों पर दिशा देने वाला राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से हैं। प्रत्येक राष्ट्र व राज्य का भविष्य युवाओं से जुड़ा होता है, इसी संदर्भ में विश्व स्तर पर युवाओं के विकास एवं उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए युवा नीतियाँ बनती रही है, जो प्रभावी रुप से 21वीं सदी में युवाओं की बदलती स्थितियों को दर्शाती है। इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य देश व राज्य के विकास में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना है।

(2) भारत सरकार ने सन् 1988 और 2003 में ''राष्ट्रीय युवा नीति'' बनाई थी, उसी के आधार पर पुनर्विचार कर सन् 2010 में ''राष्ट्रीय युवा नीति'' बनाई गई, इसके बाद **''राष्ट्रीय युवा नीति, 2014''** में बनाई गई जो देश के युवाओं के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्वता को सुनिश्चित करती है। इस नीति का उद्देश्य देश के युवाओ को अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए सशक्त बनाना तथा वर्तमान में उभरती आर्थिक शक्ति के रूप में तैयार करना है। इसी प्रासंगकिता को बनाये रखने के लिए राजस्थान राज्य की ''नवीन युवा नीति'' का होना आवश्यक है।

(3) सरकार की अन्य मुख्य संस्थाओं जैसे– राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.), एन.सी.सी., स्काउट एण्ड गाईड, नेहरू युवा केन्द्र संगठन, स्वयं सेवी संस्थायें, प्रशासनिक समूह, कम्पनी क्षेत्र एवं समुदाय के साथ साझेदारी कर युवाओं के समग्र विकास हेतु समुचित अवसर प्रदान करती है उसी के अनुरूप युवाओं को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के विकास के उद्देश्य एवं गतिविधियों में पूर्णतः जोड़ा जाना चाहिये।

(4) युवाओं की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं तथा सोच पर विशेष ध्यान देकर उन्हे ग्राम पंचायत व राष्ट्रीय स्तर पर उचित मंच प्रदान किया जाना चाहिए। उन्हें समाज के निर्माण में वृहत स्तर पर सामुदायिक, राजनीतिक, सामाजिक विकास कार्यो में युवाओं के अवसर व भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है।

(5) युवाओ के सर्वागीण विकास हेतु राजस्थान ''राज्य नवीन युवा नीति'' युवाओ के बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आदि सम्पूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो लक्ष्यो को प्राप्त करने हेतु एक महत्वपूर्ण सोपान होगा, साथ ही राज्य के शिक्षा पर, स्वास्थ्य सुविधाए, स्वच्छता, कन्या भ्रुण हत्या, शिशु मुत्यु दर को कम करने, स्त्रीयों की सामाजिक स्थिति , सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता के लिए युवाओं की सहभागिता एवं सहयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

(6) ''नवीन युवा नीति'' समुदाय और युवाओं के बीच एक सेतु का कार्य करेगी, जिसमे समाज के युवाओ का महत्व एवं उपयोगिता का विकास हो और युवाओं को अपनी क्षमता, ऊर्जा एवं उत्साह का प्रयोग करके समाज को बेहतर दिशा देने में कर सके।

(7) ''राज्य नवीन युवा नीति'' राज्य के युवाओं के लिए उन प्रमुख क्षेत्रो की पहचान करने का प्रयास किया गया है जिसमें युवाओ के विकास सम्भव बनाने के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है इस नीति का उददे्श्य मार्गदर्शक दस्तावेज कि भुमिका निभाना है इस नीति की 5 वर्षो में एक बार समीक्षा की जानी आवश्यक है, ताकि राज्य सरकार युवाओं के संबंध में अपनी प्राथमिकताओं में अपनी सुविधा अनुसार बदलाव कर सके।

(8) ''राज्य युवा नवीन नीति'' राज्य के युवाओ के विषय में सम्पूर्ण दृष्टिकोण दर्शाया गया है, जिसका उद्देश्य ''प्रदेश के युवाओ को अपनी पूर्ण क्षमताओ को विकसित करने के लिए सशक्त बनाना तथा उनके माध्यम से भारत को अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में उसका सही स्थान दिलाना है''।

2. युवा की परिभाषा एवं महत्व :–

(1) ''युवा'' किसी निर्धारित आयुवर्ग की श्रेणी है। प्रायः अनिवार्य शिक्षा छोड़ने तथा अपना पहला रोजगार पाने वाली आयु के व्यक्ति को ''युवा'' माना जाता है। अक्सर युवा आयुवर्ग को विभिन्न देश/ एजेन्सियों तथा एक ही एजेंसी विभिन्न संदर्भों में अलग–अलग तरीके से परिभाषित करती हैं। ''संयुक्त राष्ट्र संघ'' ने ''युवा'' को 15 से 29 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया हैं।

(2) राष्ट्रीय युवा नीति 2003 में युवा को 13 से 35 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया था, लेकिन ''राष्ट्रीय युवा नीति, 2014'' में ''युवा'' को 15 से 29 वर्ष तक आयुवर्ग माना हैं, इस लिए जहां तक विभिन्न नीतिगत उपायों का संबंध है, और अधिक संकेद्रित दृष्टिकोण अपनाने के उद्देश्य से मौजूदा ''नवीन राज्य नीति'' दस्तावेज में ''युवा'' आयुवर्ग को 15 से 29 वर्ष के रूप में परिभाषित किया गया है।

(3) भारत में 15 से 29 आयु वर्ग के युवा 27.5 प्रतिशत जनसंख्या हैं, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय भविष्य में 2020 तक जनसंख्या के आधार पर मध्ययम आयु वर्ग 28 वर्ष आकि जा रही है जिसका अर्थ यह हुआ कि ''युवा'' राज्य व राष्ट्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करेंगें, जिससे राज्य को बेहतर अवसर प्राप्त होगा।

(4) राज्य सरकार विभिन्न कार्यक्रमो के माध्यम से युवाओ के लिए निवेश करती है अतः युवाओं पर अधिकांश लक्षित व्यय शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और युवाओं संबंधी सेवाओं पर किया जाता है।

3. राज्य युवा नीति लक्ष्य :–

राज्य युवा नीति का प्रमुख लक्ष्य ''राज्य के युवा वर्ग को अपनी पूर्ण क्षमताओं को विकसित करने के लिए सशक्त व सक्षम करके उनका संर्वागीण विकास करना है तथा उनके माध्यम से राष्ट्र को अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में उसका सही स्थान दिलाना''।

4. उद्देश्य :–

(1) राज्य के आर्थिक विकास में स्थाई योगदान कर सकने वाली उत्पादक श्रम शक्ति (युवाओं को स्वरोजगार प्रयासों को बढ़ावा देना) युवाओं को तैयार करना।

(2) राज्य में स्वस्थ युवा पीढी का विकास करना, जो भविष्य कि चुनौतियो का सामना करने में सक्षम हो।

(3) राज्य में राष्ट्रवाद कि भावना बढ़ाने के लिए सामाजिक मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए तथा समुदायिक सेवा में बढावा देना चाहिए ।

(4) राज्य में शासन के सभी स्तरो पर युवाओं की भागीदारी और सामाजिक नियोजन होना चाहिए।

(5) राज्य के जोखिमग्रस्त युवाओं की सहायता करना तथा सभी वंचित, उपेक्षित युवाओं (अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, विशेषयोग्यजन, युवा महिला, आर्थिक रूप से कमजोर युवा वर्ग) को समता–मुलक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए।

5. नीति के मूल आधार एवं प्राथमिकता क्षेत्र और भाविक आवश्यकतायें :–

क्र. सं.	नीति के मूल आधार (उद्देश्य)	प्राथमिकता क्षेत्र	भाविक आवश्यकताएं
1.	एक सफल कार्यबल का गठन करना जो राज्य की अर्थव्यवस्था को विकसित करने की दिशा में स्थायी योगदान दे सके।	1. शिक्षा	• क्षमता एवं गुणवत्ता बढाने की प्रणाली तैयार करना • कौशल विकास और आजीवन शिक्षण को बढ़ावा देना।
		2. रोजगार और कौशल विकास	• लक्षित युवाओं तक पहुंच और जागरूकता • प्रणालियों और स्टेकहोल्डरों के बीच सम्पर्क बढ़ाना • राज्य और अन्य स्टेकहोल्डरों की भूमिका तय करना
		3. उद्यमशीलता	• लक्षित युवाओं तक पहुंचने के कार्यक्रम • क्षमता बढ़ाने के लिए प्रभावी कार्यक्रमों का दायरा विस्तृत करना • युवा उद्यमियों के लिए कार्यक्रम तैयार करना • व्यापक निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली का क्रियान्वयन
2.	एक ऐसी सशक्त और स्वस्थ पीढ़ी तैयार करना जो भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो।	4. स्वास्थ्य एवं स्वच्छ, स्वस्थ जीवन शैली	• सेवा प्रदायगी की स्थिति को बेहतर बनाना • स्वास्थ्य, पोषण और निवारक उपायों के बारे में जानकारी • युवाओं के लिए लक्षित नियंत्रण कार्यक्रम
		5. खेल एवं मनोरंजन	• खेल सुविधाओं और प्रशिक्षण की बेहतर उपलब्धता • युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देना • प्रतिभाशाली खिलाडियों की सहायता और उनका विकास
3.	सामाजिक मूल्यों की भावना मन में बैठाना और राज्य की जिम्मेवारी बढ़ाने के लिए सामुदायिक सेवा को	6. सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना	• नैतिक मूल्य की शिक्षा प्रणाली को उचित रूप देना • युवा के विनियोजन कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना

	प्रोत्साहित करना।		• नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने की दिशा में कार्यरत एन.जी.ओ. और गैर–लाभकारी संगठनो को सहायता
		7. सामुदायिक विनियोजन	• विद्यमान सामुदायिक विकास संगठनों की सेवायें लेना • सामाजिक उद्यमशीलता को बढ़ावा देना
4.	शासन के सभी स्तरों पर नागरीकों की सेवायें लेना और उनकी भागीदारी को आसान बनाना।	8. राजनीतिक और शासन में भागीदारी	• राजनैतिक व्यवस्था से बाहर के युवाओं को शामिल करना • युवाओं के लिए सहायक शासन तंत्र सृजित करना • शहरी शासन में युवा भागीदारी को बढ़ावा देना
		9. युवाओं की भागीदारी	• युवा विकास योजनाओं की प्रभावित की निगरानी और उसके लिए उपाय • युवाओं के विनियोजन के लिए मंच तैयार करना
5.	जोखिमग्रस्त युवाओं के लिए सहायता और लाभ से वंचित एवं सीमांत युवाओं के लिए समता–मूलक अवसर सृजित करना	10. समावेशन	• लाभ से वंचित युवाओं को समर्थ बनाना एवं उनकी क्षमता को बढ़ाना • हिंसा–ग्रस्त क्षेत्रों में युवाओं के लिए आर्थिक अवसर सुनिश्चित करना • विकलांग युवाओं की मदद के लिए एक बहुसूत्री दृष्टिकोण तैयार करना • युवाओं के लिए जानकारी एवं अवसर बढ़ाना
		11. सामाजिक न्याय	• अनुचित सामाजिक प्रथाओं को दूर करने के लिए युवाओं की सेवायें लेना • सभी स्तरों पर न्याय की सुविधा बढ़ाना

(6) कार्य के 11 प्राथमिकता क्षेत्रों में निर्धारित की गई कमियों को दूर करने के उद्देश्य से सभी स्टेकहोल्डरों की और से समन्वित कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। स्टेकहोल्डर मानचित्र तैयार करके उसमें स्टेकहोल्डर की भूमिकाएं तथा दायित्व निर्धारित किए जाने चाहिए। सरकार को इन युवाओं के रूप में उपलब्ध अवसर का लाभ उठाने के लिए युवाओं संबंधी प्रयासों में अपना निवेश बढ़ाना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ सभी सरकारी विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ निश्चय से प्रयास करने चाहिए की सभी क्षेत्रों और नीतियों की मुख्यधारा में युवाओं को शामिल किया जाए। युवा विकास को बढ़ावा देने के लिए कई साधनों का सहारा लिया जा सकता है, जिनमें युवाओं के बीच गहरी पैठ रखने वाले मीडिया तथा मौजूदा युवा विकास संगठनो का नेटवर्क शामिल हैं।

(7) इसके अतिरिक्त राज्य युवा नीति, की सफलता की निगरानी तभा उसका मूल्यांकन करना आवश्यक है। अग्रणी और परिवेष्टन संसूचक निर्धारित किए गये हैं। इन सभी संसूचको के संबंध में बेसलाइन निर्धारण किया जाना चाहिए, वार्षिक लक्ष्य तय किए जाने चाहिए तथा इन लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रगति की निगरानी की जानी चाहिए। संसूचको के संबंध में प्रगति की जानकारी राज्य को देने, प्रमुख उपलब्धियों को उजागर करने तथा नई और निपटाई न जा सकी चुनौतियॉ निर्धारित करने के उद्देश्य से युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग को युवाओं की स्थिति के विषय में द्विवार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करनी चाहिए। इस रिपोर्ट से राज्य के युवाओं को भी उनके विकास के लिए शुरू किए गये सरकार के विभिन्न उपायों की जानकारी मिल सकेगी।

(8) राज्य को आजादी दिलाने से लेकर यथाशक्ति में बदलाव लाने वाली नई प्रौद्योगिकियों के आविष्कार और कला, संगीत एवं संस्कृति की नई शैलियों के विकास तक इतिहास के हर दौर में युवा ही बदलाव के अग्रदूत रहे हैं। भारत के युवाओं के विकास में सहायता करना एवं उसे बढ़ावा देना ही इस राज्य के सभी क्षेत्रों और स्टेकहोल्डरों की सर्वप्रमुख प्राथमिकता होनी चाहिए।

(9) युवाओं में स्वयंसेवा की भावना विकसित कर, राष्ट्रीय, सामाजिक विकास व कल्याण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराना।

(10) युवाओं में अनुशासन, मानवीय गुणों एवं नैतिक मूल्यों का विकास करना।

प्राथमिकता के क्षेत्र

युवाओं से संबंधित राज्य सरकार की मौजुदा नीतियां एवं युवाओं की भावी आवश्यकता के दृष्टिगत प्राथमिकता के निम्न क्षेत्रों का नीति में निर्धारण किया जाता है:–

5.1 शिक्षा

राज्य के आर्थिक विकास में योगदान करने वाली उत्पादक युवा श्रमशक्ति तैयार करने के लिए युवाओं को शिक्षित किया जाना चाहिए तथा स्थायी आजीविका के लिए उन्हें आवश्यक कौशल भी सिखाये जाने चाहिए। विभिन्न वर्गो के युवाओं के लिए अलग से नीतियों के निर्धारण की आवश्यकता है।भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने, शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से अनेक नीतियां कार्यान्वित की गई हैं। कुल मिलाकर प्रयास यह है कि एक ऐसी प्रणाली विकसित की जाए, जिसके माध्यम से तैयार होने वाले स्नातक रोजगार पाने के योग्य हो सकें। मेधावी छात्रों को उच्चतर शिक्षा पाने के लिए बैंकिंग प्रणाली शैक्षणिक ऋण दे रहीं हैं। इसके अतिरिक्त सरकार, सामाजिक संगठन और निजी क्षेत्र छात्रों को सीधे शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करते रहे हैं।

उपर्युक्त के उपरान्त भी युवा शिक्षा की चुनौतियां अब भी विद्यमान हैं। बाहरवीं योजना में ऐसे कार्यनीतिक बदलाव निर्धारित किए गये हैं, जिनसे युवा विकास को बढ़ावा मिलेगा।

भावी आवश्यकतायें

(क) शिक्षा प्रणाली में क्षमता एवं गुणवत्ता का विकास करना

- शिक्षा की उपलब्धता और समानता बढ़ाने के लिए माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा में क्षमता सुधार किया जाना चाहिए। इन सुधारों में बुनियादी ढांचे को सुधारना, अपेक्षाकृत कम शैक्षणिक नामांकनों और आउटकम वाले क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार बढ़ाना तथा अध्यापक चयन एवं भर्ती कार्यक्रमों में वृद्धि करना शामिल है।
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में अपेक्षाकृत छोटी योजनाओं को शामिल कर माध्यमिक शिक्षा का व्यापक कार्यक्रम बनाया जा रहा है। इसमें निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली विकसित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि मौजूदा योजनाओं सहित वंचित वर्गों और क्षेत्रों के युवाओं को कारगर ढंग से मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। यही व्यवस्था उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की क्षमताओं के विस्तार हेतु की जानी चाहिए।
- छात्रों संबंधी परिणामों में सुधार लाने के लिए अनेक गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम चलाए गये हैं। इन कार्यक्रमों में अध्यापक प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम, पाठ्यचर्या सुधार, संशोधित छात्र मूल्यांकन मानक तथा स्कूलों और कालेजों को मान्यता प्रदान करना शामिल हैं। मौजूदा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों की सफलता की समीक्षा करना, निष्प्रभावी कार्यनीतियों में संशोधन करना तथा सफल कार्यक्रमों को और व्यापक बनाना आवश्यक है।
- शिक्षा प्रदान करने के कार्य में सरकार और निजी क्षेत्र की भुमिका को स्वष्ट रूप से परिभाषित करना आवश्यक है। नए ''पी0पी0पी0'' माडलों पर विचार, उपयुक्त विनिमय प्रणालियां, मान्यता प्रदान करने की प्रक्रियायें, नीतियां तथा प्रोत्साहन व्यवस्थायें विकसित की जानी चाहिए, ताकि निजी शिक्षा प्रदाता माध्यमिक शिक्षा का निरन्तर विस्तार एवं सुधार करने की चुनौती का सामना कर सकें।
- माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के वित्तपोषण की व्यवस्थायें विकसित की जानी चाहिए। इस संबंध में शिक्षा के वित्तपोषण की सर्वाधिक उपयुक्त व्यवस्थायें निर्धारित करने के लिए प्रायोगिक परियोजनायें शुरू की जानी चाहिए।

(ख) कौशल विकास एवं आजीविका प्रशिक्षण को बढ़ावा देना

- इसके अन्तर्गत आवश्यक है कि शिक्षा प्रणाली ऐसे अर्हता प्राप्त व्यक्ति तैयार करे, जो स्वयं अपनी विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुसार अपने कौशलों को विकसित करने में सक्षम हों।
- कौशल विकास और आजीविका प्रशिक्षण को बढ़ावा देने वाली महत्वपूर्ण व्यवस्था का अर्थ औपचारिकता शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास कार्यक्रमों, साक्षरता और बुनियादी शिक्षा कार्यक्रमों जैसी प्रणालियों के बीच पारस्परिक संबंध विकसित करना है। इससे व्यक्ति एक शिक्षण प्रणाली को छोडकर दूसरी प्रणाली में शामिल होकर अपने विकास और नियोक्ता की आवश्यकताओं के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त कौशल सीख संकेंगे तथा अर्हता प्राप्त कर सकेंगे।
- 15 से 29 वर्ष तक की आयु के युवाओं की शिक्षा को नियंत्रित करने वाली कोई व्यापक नीति या समन्वय फेमवर्क नहीं है। इसे विकसित किया जाना चाहिए, ताकि प्रणाली में सुशासन, जवाबदेही, जिम्मेदारी एवं पारदर्शिता के साथ–साथ उद्देश्य भी पारिभाषित हो सकें।

5.2 रोजगार और कौशल

यह सुनिश्चित करने के लिए कि युवा रोजगार पाने के योग्य हैं तथा श्रम की मांग व आपूर्ति में कोई अन्तर न आने पाये, युवाओं को ऐसे कौशल सीखने चाहिए, जो रोजगार संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप हों। युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के अतिरिक्त भारत सरकार ने अपेक्षाकृत कम कुशल व्यक्तियों के लिए दो उद्देश्यों वाला दृष्टिकोण अपनाया है– (1) कौशल विकास में मदद लेना (2) प्रत्यक्ष रोजगार कार्यक्रम चलाना

भारत सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (एनएसडीपी) शुरू की जिसमें वर्ष 2020 तक 500 मिलियन लोगों के कौशल विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं।

भावी आवश्यकतायें

- कौशल विकास प्रणाली में सुधार की भावी प्राथमिकतायें बाहरवीं योजना में सूची बद्ध की गई हैं। इन प्राथमिकताओं में पीपीपी को बढ़ावा देना, राष्ट्रिय कौशल विकास अर्हता, फ्रेमवर्क कार्यान्वित करना, संस्थागत संरचना में सुधार करना, क्षेत्रीय समानता आर प्रसार बढ़ाना तथा शैक्षणिक कार्यक्रमों में सुधार करना शामिल हैं।

(क) लक्षित युवा प्रसार और जागरूकता कार्यक्रम

- कौशल विकास के तत्वावधान में आने वाले सभी कार्यकलापों में एनएसडीपी का युवा और प्रयोक्ता केन्द्रित दृष्टिकोण शामिल किया जाना चाहिए।
- युवाओं को लक्षित जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, जिस हेतु सर्वाधिक उपयुक्त नियोजन व्यवस्था का निर्धारण जरूरी है।

(ख) सरकार और अन्य स्टेकहोल्डरों की भूमिका परिभाषित करना

- कौशल विकास के पैमाने और युवाओं के रोजगार की आवश्यकता को देखते हुए, गैरसरकारी स्टेकहोल्डरों को सभी नीतियों के अधीन किया जाना चाहिए। सभी स्टेकहोल्डरों की स्पष्ट भूमिकायें परिभाषित की जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्धारित कर्मियों की पूर्ति हो सके।
- सरकार को सीधे संस्थाओं अथवा छात्रों का वित्त–पोषण करना चाहिए तथा निजी वित्त–पोषण और नये छात्र पैकेज तैयार करने के लिए अनुकुल परिवेश भी तैयार करना चाहिए।
- धन कोष के सर्वाधिक प्रभावी उपयोग हेतु विकल्पों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो (आईटीआई) के उन्नयन के माध्यम से क्षमता विकास में निवेश करना या प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में निवेश करके वास्तविक प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य निजी क्षेत्र पर छोड़ देना शामिल हैं।

(ग) विभिन्न प्रणालियों और स्टेकहोल्डरों के बीच संयोजन विकसित करना

- शिक्षा प्रणाली तथा रोजगार बाजार के साथ कौशल विकास के समेकन को देखते हुए विभिन्न प्रणालियों तथा स्टेकहोल्डरों के बीच संयोजन विकसित करना आवश्यक है।

- प्रशिक्षण संस्थाओं और नियोक्ताओं के बीच संयोजन विकसित किया जाना चाहिए। नियोक्ताओं को प्रशिक्षण पाठ्यचर्या के लिए इनपुट प्रदान करने चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकें कि युवाओं के कौशल श्रम बाजार की जरूरतों के अनुरूप हों। इसी प्रकार प्रशिक्षण संस्थाओं को नियोक्ताओं से तालमेल करके छात्रों को कार्यक्रम के बाद रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए।
- शिक्षा प्रणाली तथा कौशल विकास संस्थाओं के बीच संयोजन विकसित किया जाना चाहिए, ताकि युवा कौशल विकास सीख सकें और आगे चलकर जब चाहें तब वापस औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल हो सकें।
- क्षेत्रवार कौशल परिषदों, नियोक्ताओं और प्रशिक्षण संस्थाओं के बीच संयोजन विकसित किया जाना चाहिए। इससे व्यावसायिक मानक परिभाषित करने, नियोक्ता की जरूरत के क्षेत्रों में संस्थानों की स्थापना करने और प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार दिलाने की सक्रिय और प्रगतिशील प्रतीत होने वाली प्रक्रिया तैयार होगी।

5.3. उद्यमशीलता (स्टार्टअप)

युवाओं को राज्य के आर्थिक विकास में उत्पादक योगदान करने के योग्य बनाने के लिए उद्यमशीलता को बढ़ावा देना नितान्त आवश्यक है। कौशल विकास पर जोर दिए जाने से कुशल व्यक्तियों की संख्या और श्रमशक्ति में भागीदारी बढ़ने पर उद्यमियों की संख्या और अधिक बढ़ने की सम्भावना है।

भावी आवश्यकतायें

युवा उद्यमियों को और अधिक सहायता प्रदान करने के लिए वर्तमान उद्यमशीलता कार्यक्रमों के अन्तर्गत निम्न क्षेत्रों में सुधार अपेक्षित हैंः–(क) प्रसार और जानकारी का प्रावधान, (ख) पैमाना और समावेशन, (ग) कार्यक्रम की गुणवत्ता और प्रासंगकिता एवं (घ) निगरानी और मूल्यांकन।

(क) लक्षित युवा प्रचार–प्रसार कार्यक्रम

विभिन्न योजनाओं और उनमें से प्रत्येक के लाभ के विषय में लक्षित सूचना कार्यक्रम युवाओं के लिए विभिन्न योजनाओं की जानकारी एवं विवरणिकायें तैयार कर नेहरू युवा केन्द्र,एन.एस.एस., एन.सी.सी., भारत स्काउट गाईड के युवा एवं युवा समूह के स्वयंसेवको को जमीनी स्तर पर प्रचार करने के लिए दी जाएं।

(ख) युवाओं की उद्यमशीलता क्षमता बढ़ाने के लिए प्रभावी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना

भारत सरकार, राज्य सरकार, सामाजिक संगठनों और निजी भागीदारी के साथ मिल उन क्षेत्रों में भी इन योजनाओं का विस्तार करने का प्रयास कर सकती हैं, जिन क्षेत्रों में फिलहाल इन योजनाओं की पहुंच बहुत सीमित अथवा बिल्कुल भी नहीं हैं।

(ग) युवा उद्यमियों के लिए आवश्यकतानुसार कार्यक्रम तैयार करना

व्यवसायिक आयोजना और निष्पादन की दृष्टि से ऐसे युवा भागीदारों, जिनमें उद्यमी बनने हेतु आत्मविश्वास, राशि की कमी हैं, को कार्यक्रम के पश्चात् विशिष्ट सहायता दी जा सकती है, जिसमें अपने व्यवसाय को वह सफलतापूर्वक चला सकें।

(घ) व्यापक निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली क्रियान्वित करना

इस बात कि आवश्यकता है कि योजनाओं की सुदृढ़ निगरानी, डाटा एकीकरण और मूल्यांकन तंत्र हो, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन योजनाओं के लक्ष्य पूरें हो रहे हैं और उद्यमी बनने की आकांक्षा रखने वाली आबादी के युवाओं के हित पूरे हो रहे हैं।

5.4 स्वस्थ और स्वच्छ जीवन शैली

युवाओं के लिए स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। सभी युवाओं के पास उनकी क्षमता के अनुसार स्वास्थ्य के देखरेख की सुविधाएं होनी चाहिए। वर्तमान में खराब स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी संसाधनों की कमी के कारण आमदनी से ज्यादा व्यय के कारण युवा सहित सम्पूर्ण आबादी प्रभावित हो रही है।

वर्तमान में युवाओं के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं यथा–अनियमित जीवन शैली के कारण युवा व्यस्कों को होने वाली गैर संक्रामक बीमारीयों अर्थात् मोटापा, कार्डियोवैस्कुलर रोग, मधुमेह, स्ट्रोक, फेफड़े की गम्भीर बीमारी एवं कैंसर इत्यादि का सामना करने के लिए युवाओं में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है।

भावी आवश्यकतायें

भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से उक्त से संबंधित संचालित योजनाओं के माध्यम से पालीयों उन्मूलन के मामले में भारी सफलता, एचआईवी/एड्स संक्रमण के मामले में 57 प्रतिशत की कमी आई हैं।

इसी प्रकार राष्ट्रीय टी.वी. नियंत्रण के मामले में जांच और उपचार में 85 प्रतिशत सफलता गैर–संक्रामक रोगों के मामले में कैंसर, मधुमेह, सीवीडी और स्ट्रोक्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत मधुमेह और हाइपर टेंशन की जांच शुरू की गई है।

(क) उन्नत सेवा में सुधार

- युवाओं के स्वास्थ्य देखरेख सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, सबसे पहले बुनियादी स्वास्थ्य देखरेख सुविधायें बहाल करना अनिवार्य है।
- मेडिकल कॉलेजो और प्रशिक्षण संस्थाओं का विस्तार करते हुए डाक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों का एक विशाल प्रशिक्षित वूल तैयार कर उन्हें सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए वित्तीय रूप से प्रोत्साहित भी किया जाए।
- आंगनबाडी कर्मियों, आशा कर्मियों और स्वास्थ्य से जुडें अन्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाडी केन्द्रों को हब के रूप में विकसित करने के साथ–साथ प्रशिक्षण केन्द्रों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थाओं की स्थापना में निजी क्षेत्र की भी सक्रिय भागीदारी कराई जाए।
- युवाओं, विशेषकर गर्भवती और स्तनपान कराने वाली युवा महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी देखरेख की पर्याप्त सूविधा सृजित करने के साथ–साथ महिलाओं से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।
- 14 से 18 वर्ष की नाजुक उम्र में महिलाओं के लिए प्रसव पूर्व एवं प्रसव के पश्चात् देखरेख करने, मातृत्व व शिशु मृत्यु दर में कमी लाने बाल लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अभियान चलाने की आवश्यकता है।

(ख) युवाओं के लिए लक्षित जागरूकता कार्यक्रम

- स्वास्थ्य संबंधी विशिष्ट मुद्दों पर लक्षित जागरूकता कार्यक्रम कार्यान्वित किए जायेंगे। युवाओं को उत्तम पोषण और स्वच्छ जीवन शैली अपनाने तथा यूवकों को निरोधी स्वास्थ्य देखरेख के लाभों के बारे में जानकारी दी जाएगी।
- युवाओं को ड्रग्स/नशीले पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में भी जानकारी दिए जाने की जरूरत है। मौजुदा अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र, आंगनबाडी केन्द्र और गैर–सरकारी संगठनों, ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में अपनी पहुंच के कारण इस संबंध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जन–जागरूकता सृजित करने में बढ़ते हुए किशोर, एन0एस0एस0, एन0वाई0के0एस0, युवक एवं युवा समूह के युवा स्वयंसेवक भी अत्यन्त प्रभावी भूमिका निभायेंगे।

5.5 खेल एवं मनोंरजन

खेल और मनोरंजन क्रियाकलाप युवाओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास का अनिवार्य घटक है। खेलों से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास होता है। खेलों में भाग लेनें से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, सामाजिक कार्य से जुडने, प्रतिस्पर्धा और मिलजुल कर कार्य करने की भावना विकसित होने तथा कुल मिलाकर युवाओं के समग्र विकास में मदद मिलती है। खेलों को वर्तमान में एक व्यवहार्य पेशेवर विकल्प के रूप में भी माना जा रहा है। युवाओं में अपनापन और राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करने में मदद मिलती है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, खेल संघों, निजी क्षेत्र की कंपनियों और गैर–सरकारी संगठनो जैसे विभिन्न स्टेकहोल्डरों ने भी युवाओं का विकास में साहसिक प्रशिक्षण की भूमिका को स्वीकार किया है। केन्द्र तथा राज्य सरकार शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में खेलों और कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराते हुए खेल को मजबुत आधार प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रही हैं।

इसके अर्न्तगत केन्द्र सरकार द्वारा ''खेलों भारत'' कार्यक्रम एवं नेशनल प्लेइंग फील्ड एसोसीयेशन आफ इंडिया और विभिन्न स्तरों पर शहरी आधारभूत योजनाओं के सृजन की योजना जैसे कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा हैं।इसके अतिरिक्त भारतीय खेल प्राधिकरण, राष्ट्रीय खेलसंघ और राज्य स्तरीय संगठन भी कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने, प्रतिस्पर्धा का आयोजन करने, प्रतिभाशाली खिलाडियों का चयन कर उनके विकास में मदद करने की दिशा में कार्य कर रहें हैं। केन्द्र और राज्य सरकारें विभिन्न स्तरों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाडियों को वित्तीय प्रोत्साहन एवं अवार्ड प्रदान करती है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभावान खिलाडियों को ''महाराणा प्रताप पुरस्कार'' के नाम से प्रदान किया जाता हैं।

भावी आवश्यकतायें

राष्ट्रीय स्तर पर अन्य प्रदेशों की भांति तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरीका, रूस, चीन, जापान आदि देशों के समकक्ष राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्टता के स्तर को प्राप्त करने हेतु कतिपय कार्य किए जाने हैं।

(क) खेल सुविधाओं और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना

ग्रामीण क्षेत्र के निवासी शहरी क्षेत्र के निवासियों के सापेक्ष शारीरिक रूप से अधिक सबल होते हैं। ज्ञातव्य हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के निर्धनतम हिस्सों में खेल और शारीरिक शिक्षा के अवसरों की उपलब्धता अभी भी काफी कम है। इस हेतु ''खेलों भारत कार्यक्रम'' और एनपीएफएआई जैसी केन्द्र पोषित योजनाओं को और अधिक सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों और सामुदायिक क्षेत्रों में खेल के मैदानों का निर्माण करने और खेलों की सुविधाएं प्रदान करने में सक्रिय हिस्सेदारी के लिए जन सहभागिता योजना के तहत वित्तीय रूप ये प्रोत्साहीत करने की आवश्यकता है।

(ख) युवाओं में खेलों की ''संस्कृति'' को बढ़ावा देना

युवाओं में खेल ''संस्कृति'' को बढ़ावा दिए जाने हेतु युवाओं को इस योग्य बनाया जाए कि वे खेलों को मात्र एक मनोरंजन क्रियाकलाप न मानते हुए इसे आजीविका का सम्भावित विकल्प भी माने। इसके लिए विद्यालय और कॉलेज स्तरों के पाठ्यक्रम में खेल संबंधी क्रियाकलापों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

(ग) प्रतिभाशाली खिलाडियों के लिए आर्थिक सहायता और उनका विकास

खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभा की खोज, कोचिंग, प्रतिस्पर्धाओं में भागीदारी और वित्तीय प्रोत्साहन की व्यवस्था के लिए एक तटस्थ चैनल तैयार किए जाने की आवश्यकता है। युवाओं का बहुत बडा भाग और राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिभायें ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं। अतएव खेलों और सुविधाओं की सीमित उपलब्धता के साथ क्षेत्रों में अत्यधिक प्रतिभाशाली खिलाडियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक सक्रिय मॉडल तैयार करना अनिवार्य है।

5.6 सामाजिक मूल्यों, नैतिकता को बढ़ावा देना

युवा राष्ट्र के भविष्य हैं, जिनके द्वारा आने वाले वर्षों में देश को नेतृत्व प्रदान किया जाना है। इसलिए यह अनिवार्य है कि युवाओं में उच्च स्तर की सामाजिक नैतिकता और नैतिक मूल्य स्थापित किए जायें। भारत धर्म, भाषा, जाति और संस्कृति की दृष्टि से विविधतापूर्ण देश है। इस विविधता के साथ–साथ सामाजिक, आर्थिक असमानता और उग्रवाद की समस्या भी है, जिनमें समाज को विभाजित करने कि क्षमता है। इससे बचाव हेतु व्यक्तियों में युवावस्था में ही सौहार्द और भाईचारें की भावना उत्पन्न करना अनिवार्य है।

आन्तरिक नैतिक मूल्यों यथा–करूणा, दया, सहृदयता, सहानुभूति और परानुभुति को विकसित करना, ईमानदारी एवं सच्चाई की भावना उत्पन्न करने के लिए अलग–अलग और सामूहीक क्रिया–कलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहीत किया जाना आवश्यक है। नैतिक शिक्षा परिवार के साथ घर से शुरू होती है और समाज भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहीत करने में शिक्षा की भूमिका पर शिक्षण नीतियों में लगातार बल दिया गया है। ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, रक्तदान, टीकाकरण, आपदा प्रबंधन आदि विभिन्न कार्यकलापों में राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवा केन्द्र संगठन, एन0सी0सी0, व युवा समूह जैसे संगठनो को सम्मिलित किया जा सकता है। इनमें राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने और राष्ट्रीय एवं सामाजिक नैतिक मूल्यों का विकास करने की क्षमता है।

भावी आवश्यकतायें

(क) नैतिक शिक्षा को औपचारिक रूप देने की दिशा में किया गया प्रयास

यद्यपि विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में नैतिक शिक्षा विषय के रूप में सम्मिलित है, तथापि विद्यालय और कॉलेज के सभी स्तरों पर नैतिक मूल्य का पशिक्षण देने की औपचारीक प्रणाली तैयार करने और इसे व्यक्तिगत निष्पादन मूल्यांकन कर अनिवार्य घटक बनाये जाने की आवश्यकता है।

(ख) युवाओं के लिए विनियोजन कार्यक्रमों का सुदृढ़ीकरणः

युवाओं में अपनापन, भाईचारा और सौहार्द की भावना उत्पन्न करने में एनएसएस, एनवाईकेएस, एनसीसी, एवं युवा समूह के कार्यक्रम अत्यधिक सफल रहे हैं। इनके कार्यक्रमों का क्षेत्र बढाये जाने और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

(ग) नैतिकता और सौहार्द बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहे गैर–सरकारी संगठनो को सहायता:

नैतिक शिक्षा से जुडें सभी मुद्दों का पूरी तरह समाधान पाने के लिए सामाजिक समूह और सोसायटीज युवाओं में सामाजिक नैतिक मूल्य और सौहार्द के बारे में बताने और इसे बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। युवाओं में भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले संगठनो को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान की जायेगी।

5.7 सामुदायिक विनियोजन

युवाओं सामुदायिक सेवा और विकास कार्यक्रमों के लिए एक जुट किया जा सकता है। वर्तमान में युवाओं को उनके समुदाय के साथ विनियोजित करने के साथ जमीनी स्तर पर विकास कार्यों में भागीदारी करने हेतु सक्षम बनाये जाने के दृष्टिगत एनवाईकेएस, एनएसएस योजनायें संचालित हैं।

भावी आवश्यकतायें

(क) सामुदायिक विकास संगठनों को बढ़ाना और प्रोत्साहीत करना:

- गैर सरकारी संगठनों का प्रत्यायन या प्रमाणन के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने से वित्तपोषित एजेन्सियों और युवा स्वयंसेवियों को उनकी जरूरतों के आधार पर सबसे उपयुक्त संगठनों का चयन करने में मदद मिलेगी।
- स्वयंसेवी संस्था एक मंच प्रदान करके सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में भाग लेने के इच्छुक युवा की पहचान की जा सकती है। इससे संगठनों के साथ स्वयंसेवियों की प्रभावी तरीके से मैचिंग अंशदान करने में मदद मिलेगी।

(ख) आपदा प्रंबंधन में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा

- स्थानीय युवा अपनी ऊर्जा और समीपता की वजह से किसी भी प्रकार के बचाव एवं आपदा प्रबंधन क्रियाकलाप में अग्रणीय होते हैं। आपदा के समय मिलजुल कर किए जाने वाले इस प्रकार के क्रियाकलाप न केवल मित्रवत व्यवहार और नेतृत्व की भावना को बढ़ाते हैं, अपितु इसके साथ ही पीड़ित व्यक्तियों को अत्यन्त सहारा भी प्रदान करते हैं।

5.8 युवाओं की राजनीति और शासन में भागीदारी:

देश की आबादी में युवाओं की आबादी का प्रतिशत 27.5 प्रतिशत होने के दृष्टिगत युवाओं की भागीदारी, राजनीति, लोकतंत्र जवाबदेही और शासन संबंधी सभी मुद्दों में किए जाने से देश को भावी नेताओं की एक योग्य पीढ़ी तैयार करने में मदद मिलेगी।

चुनाव आयोग, चुनावों में युवा मतदाताओं को पंजीकृत कराने और मत डलवाने के लिए आउटरीच प्रोग्राम संचालित कर राजनीति और लोकतंत्र में युवा भागीदारी को बढ़ावा प्रदान कर रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर युवक एवं युवा समूहके रूप में गैर–राजनीतिक संगठन लोकतांत्रिक तरिके से तैयार कर युवाओं को देश के जनतंत्रात्मक व्यवस्था को बलवती बनाये जाने में भागीदारी बनाता है।

भावी आवश्यकतायें

(क) राजनैतिक व्यवस्था में युवाओं की सहभागिता होनी चाहिए

- राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के दृष्टिगत नीति एवं कार्यक्रम बनाकर इनका विस्तृत मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है। छात्र राजनीति को राष्ट्रीय राजनीति में बदलने के लिए बेहतर माध्यम तैयार किए जायेंगे।
- युवाओं की राजनीति में भागीदारी केवल चुनाव लड़ने तक ही सीमित न रखकर उन्हें प्रभावी ढ़ग से कामकाज करने के लिए प्रोत्साहीत किया जाना चाहिए।

(ख) शासन व्यवस्था में युवाओं की भागीदारी :

- शिक्षण पाठ्यक्रम को इस तरह से संशोधित किया जाए, कि नागरीक शास्त्र और अधिक प्रासंगकि बन जाए। युवाओं को उनके लिए उपलब्ध ऐसे विभिन्न माध्यमों की जानकारी होनी चाहिए, जिनमें जुड़कर वे सरकारी एजेन्सियों से सवाल कर सकें।
- बढ़ते हुए शहरीकरण एवं शहरी जीवन की गुम होती विशेषताओं को देखते हुए सरकार के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करे और ऐसे माध्यम एवं प्रक्रियायें तैयार करें, जिनके जरियें युवा भारतीय शहरी निर्णय निर्माताओं के साथ जुड़कर शहरी शासन में अपना योगदान दे सके।

5.9 युवाओं का विनियोजनः

युवाओ के संबंधी प्रयासों और उनमें नेतृत्व और अन्य अन्तर्वेयक्तिक कौशलों का विकास करके सरकार युवाओं की ऐसी पीढ़ी तैयार करने में मदद करेगी, जो नागरिक, सामाजिक और राजनैतिक प्रगति के वचनबद्ध हो।

युवाओं का सर्वांगीण विकास करने और उनमें नेतृत्व का गुण बढ़ाने के उद्देश्य से युवा विनियोजन के लिए अनेक कार्यक्रम चलाती है। जिससे राज्य सरकार के युवा विकास कार्यक्रमों के लिए ''सी.एस.आर.'' के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के योगदानों को निर्दिष्ट करने में मदद मिलेगी।

भावी आवश्यकताएः

(क) राज्य सरकार की विकास योजनाओं में युवाओं की भागीदारी

- युवा राज्य की कल्याणकारी योजनाओं की प्रभाविता का आंकलन करने के लिए एनवाईकेएस, एनसीसी और एनएसएस के जरिए जमीनी स्तर के अपना मौजूदा स्वयंसेवी नेटवर्क का उपयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
- राज्य के युवाओं के साथ जुड़ने के लिए एक व्यस्थित मंच तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। इस विनियोजन के अलग–अलग उद्देश्य हैं और इसलिए अलग–अलग विनियोजन मॉडलों का प्रयोग करके इन्हें क्रियान्वित किया जाना चाहिए।
- सूचना, संचार, प्रौद्योगिकी आधारीत चैनलों इत्यादी के जरिए विषयपरक् कार्यशालायें आयोजित की जाएं। इन्ही मुद्दों के आधार पर सरकार युवाओं से जुड़ने वाला माध्यम तैयार करने के लिए प्रतिनिधि शिक्षण संस्थाओं, युवा समूहों एवं अन्य सहभागियों का निर्धारण कर सकती है।

5.10 समावेशन

ऐसे अनेक युवा जो जोखिम ग्रस्त हैं और हाशिए पर चले गये हैं, पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें सरकारी कार्यक्रमों की सुविधा और लाभ प्राप्त हो रहे हैं। इन्हें निम्नवत् श्रेणीकृत किया जा सकता हैः–

1. सामाजिक एवं आर्थिक रूप से लाभ वंचित कमजोर युवा (अ0जा0 / अ0ज0जा0 / अ0पि0व0 / प्रवासी युवा और महिलायें)
2. विद्यालय नहीं जाने वाले या बीच में ही पढ़ाई छोड देने वाले युवा जो कि औपचारीक शिक्षा की मुख्यधारा से दूर चले गये हैं।
3. विशेषयोग्यजन युवा या गंभीर रोगों से पीड़ित युवा।
4. जोखिम ग्रस्त युवा, जिनमें नशीले पदार्थो का सेवन करने वाले युवक, ऐसे युवक जिनकी मानव तस्करी में जाने का खतरा हो और जोखिम वाले पेशों में कार्यरत युवा, यौनकर्मी इत्यादी शामिल तो हैं, किन्तु इस श्रेणी में अन्य युवा भी शामिल हैं।
5. सामाजिक या नैतिक कलंक से पीड़ित युवा, जिनमें लेस्बियनए गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर (एलजीबीटी) युवा, एचआईवी / एड्स सवंमित युवा शामिल हैं, साथ ही इसमें अन्य युवा भी शामिल हैं।
6. अनाथालय, सुधारगृह और कारागार, संस्थागत देख–रेख, में रहने वाले युवा।

भावी आवश्यकतायें

(क) सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित युवाओं को समर्थ बनाना

सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े युवाओं को मुख्यधारा में शामिल किए जाने की प्रक्रिया का जारी रखते हुए, एक अन्तर्क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाये जाने की आवश्यकता है, ताकि युवा स्वस्थ रहें और अधिकांश शैक्षणिक कार्यक्रमों का लाभ उठाने के साथ–साथ आय अर्जक अवसरों को न गवायें।

(ख) विशेषयोग्यजन युवाओं की सहायता करने के लिए बहुसुत्री दुष्टिकोण बनानाः

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विशेषयोग्यजन युवाओं की सहायता के लिए अनेक उपाय किए गये हैं, फिर भी इन युवाओं के लिए प्रणाली और अवसंरचना का सृजन करना आवश्यक है, ताकि वे सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें। इस संबंध में संबंधित विभागों को कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए।

(ग) युवाओं को जोखिम से बचाने के लिए जागरूकता एवं अवसरों का सृजनः

युवाओं को ऐसी परिस्थितियों का फिर से सामना न करना पड़े, उनके लिए शारीरिक एवं मानसिक जोखिम का खतरा बने। ऐसे युवाओं, जिनके जोखिम में पड़ने की सम्भावनायें हैं, के लिए लक्षित जागरूकता एवं आउटरीच प्रोग्राम तैयार किया जाना चाहिए।

5.11 सामाजिक न्याय

इस बात को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी पृष्ठभुमि के युवा भेदभाव, लाछंन और लाभवचंन की स्थिति से मुक्त रहें तथा उनके पास मुस्तैद तथा निष्पक्ष न्याय प्रणाली का सहारा हो।

भावी आवश्यकतायें

(क) सामाजिक न्याय एवं कुरीतियों के विरूद्ध कदमः

सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से जमीनी स्तर पर जागरूकता बढ़ाना और शिक्षा देने के कार्य में देश के युवाओं को शामिल किया जा सके। इसके अलावा, जमीनी स्तरों पर अनुचित सामाजिक प्रथाओं की मौजुदगी का जायजा लेने और इसकी जानकारी देने के लिए युवाओं को भी प्रशिक्षित किया जा सकता है।

(ख) सभी स्तरों पर न्याय की सुविधा बढ़ानाः

व्यक्तियों को सभी स्तरों पर औपचारीक न्याय व्यवस्था की बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए। मुकदमों का तेजी से निपटान किया जाना चाहिए ताकि औपचारिक दण्ड का डर बना रहे। जमीनी स्तरों पर वर्तमान अड़चनों और खामियों की जानकारी रखनी चाहिए तथा उपयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

6– कार्यान्वयन प्रणाली

राज्य युवा नीति में निम्नलिखित कार्यान्वयन प्रणाली निहित हैः–

1. राज्य सरकार के सभी विभागो से युवा विकास कार्यक्रमों के लिए अपने बजट में से समुचित बजट आंवटन की व्यवस्था करेगें।
2. राज्य युवा नीति के क्रियान्वयन, समीक्षा एवं मूल्यांकन के लिए ''राजस्थान युवा बोर्ड'' उत्तरदायी होगा, जो कि राजस्थान सरकार के युवा मामले एवं खेल विभाग के अधीन कार्यरत है।
3. इन सभी कार्यक्रमों एवं योजनाओं के लिए राज्य का युवा मामले एवं खेल विभाग, प्रमुख प्रशासनिक विभाग होगा और इस नीति के प्रावधानों के क्रियान्वयन को देखेगा।
4. ''राजस्थान युवा बोर्ड'', युवा विकास कार्यकलापों में समन्वय के लिए सभी सरकारी विभागों एवं गैर सरकारी संस्थाओं का आवश्यकतानुसार प्रभावी तंत्र बनायेगा ताकि परिलक्षित कार्यक्रम समय पर पूरे हो सके।
5. राज्य के युवाओं को सशक्त करने हेतु युवाओं को दिये जाने वाले विशेष प्रशिक्षण, पुरस्कार, सांस्कृतिक एवं खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन, सांस्कृतिक एवं खेल उपकरणों, आदि में दी जाने वाली के लिए राशि के लिए पृथक से ''राज्य युवा विकास कोष'' सृजित किया जायेगा। जिसमें राजकीय अनुदान, राजकीय उपक्रमों, निजी क्षेत्र के उपक्रमों, परोपकारियों, अप्रवासी भारतीयों आदि के द्वारा दिये अंशदान के माध्यम से फण्ड जुटाया जाना।

7. कार्य योजनाः

राज्य नवीन युवा नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रम/सुझाव निम्नांकित हैंः–

(क) राष्ट्रीय मूल्य, एकता व सामाजिक समरसता को बढ़ावा देनाः

1. युवाओं की ऊर्जा व्यर्थ विवादों में नष्ट न हों इस हेतु ग्राम पंचायतों में वरिष्ठ नागरिकों, एन.वाई. के.एस. के युवा क्लबों,एन.सी.सी., एन.एस.एस. के स्वयंसेवको की सहायता से समिति बनाई जायेगी, जिसको न्याय पंचायत अधिकार दिये जाना चाहिए जो सामाजिक समरसता बढ़ाने में सहायक होगी।
2. युवा समूहों को सभी धार्मिक, राष्ट्रीय त्यौहार एवं दिवसों को मनाने हेतु प्रेरित किया जाए। यदि संभव हो तो सामुहिक रसोई का आयोजन किया जाना उचित होगा।

3. राज्य में नेहरू युवा केन्द्र संगठन व राष्टीय सेवा योजना में प्रशिक्षित युवाओ को समाज में राष्ट्रीय एकता व सर्वधर्म आदि मुद्दों पर युवा मित्र एवं युवा राजदूत के रूप में काम करने का अवसर उपलब्ध कराने चाहिए।
4. युवा विकास से सम्बन्धित संस्थाओं एवं राज्यो के विभागों को राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रीय पर्व आदि मुद्दों को सामान्य कार्यक्रमों में समाहित करते हुये सभी वर्गों को जागरूक करना होगा।
5. नेहरू युवा केन्द्र संगठन के युवा समूहों, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाईयों, स्काउट एवं गाईड, एन. सी.सी. की इकाईयों को शहर एवं गांवों की सदभावना समितियों में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना होगा।
6. कौमी एकता एवं परस्पर सद्भावना की वृद्धि के उद्देश्य से विभिन्न संगठनो के कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जायेगा।
7. खेल गतिविधियों के माध्यम से जाति व्यवस्था, सामाजिक न्याय, लिंग समानता इत्यादि मुद्दो पर सामान्य जन का ध्यान केन्द्रित किया जायेगा।
8. राज्य का परिवार व्यवस्था, भारतीय जीवन शैली, सभ्यता एवं संस्कृति को बलवती बनाने हेतु ग्राम पंचायत के वृद्ध जनों एवं असहाय व्यक्तियों के सुखद जीवन यापन में सहयोग हेतु युवा समूहों के सदस्यों को अपेक्षित उत्तरदायित्व निर्वहन के लिए प्रेरित किया जायेगा।
9. युवाओं को जीवन पर्यन्त शुचितापूर्ण ढंग से धनार्जन हेतु प्रेरित किया जायेगा तथा समाज में किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार अपनी जडें न फैला सके, इस हेतु जागरूक किया जायेगा।
10. युवाओं का मानसिक, शारीरिक एवं चारित्रिक विकास कर उन्हें अनुशासनपूर्ण जीवन शैली अपनाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराया जायेगा।

(ख) रोजगार एवं उद्यमशीलता के अवसर प्रदान कर युवाओं का सशक्तिकरणः–

1. युवा रोजगार एवं उद्यमिता संबंधी कार्यक्रमों हेतु युवा मामले एवं खेल विभाग के रूप में कार्य करेगा एवं विभिन्न विधाओं में युवाओं के प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर राज्य प्रशिक्षण एवं संसाधन केन्द्र की स्थापना की जायेगी, जिसके माध्यम से सूचना एवं प्रोद्योगिकी के नवीनतम् विषयों से युवावर्ग को अभिज्ञानित कराया जायेगा।
2. स्वरोजगार प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों व अन्य गैर सरकारी संगठनों से समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षण समग्री तैयार की जायेगी। युवा प्रशिक्षण के लिए एक निश्चित बजट प्रावधान सुनिश्चित कराने हेतु व्यवस्था की जायेगी।
3. निजी क्षेत्र में युवाओं के रोजगार हेतु उपयुक्त रोजगार अवसरों की तलाश सुनिश्चित की जायेगी एवं तद्नूसार उद्योग संघों, गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वयात्मक कार्यवाही तथा राज्य के युवाओं को उद्योगों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से संबंधित विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए एक ''सिंगल विंडों सिस्टम'' व विपणन व्यवस्था विकसित की जायेगी।
4. अलग–अलग क्षेत्रों में युवाओं के लिए कैरियर परामर्श व विभिन्न राज्य व अखिल भारतीय परीक्षाओं के लिए विशेष युवावर्ग कोचिंग सुविधाओं को प्रदान करने का प्रयास किया जायेगा तथा युवाओं के सतत् कौशल विकास हेतु योजना तैयार की जायेगी।
5. प्रशिक्षित युवाओं के रोजगार हेतु व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ आपसी सहमति बनाते हुए युवाओं को सेवायोजित करने का प्रयास किया जायेगा।
6. स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता, अनुदान सहायता विशेष प्रात्साहन दिया जाकर युवाओं स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जायेगा।
7. ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान समय में प्रासंगिक परम्परागत व्यवसायों और कौशलों पर आधारित उद्योगों को चिन्हित कर, उनमें युवाओं के रोजगार व उद्यमिता के अवसर विकसित किए जायेंगे।

8. विशेषयोग्यजन एवं युवा महिलाओं हेतु विशेष शिक्षा व प्रशिक्षण कार्यक्रम, केरियर परामर्श कार्यक्रम, एवं कौशल विकास इत्यादी कार्यक्रम चलाये जायेंगे।
9. युवा उद्यमियों के लिए ऋण आदि की सुविधा हेतु ब्लॉक स्तर पर ''युवा विकास बैंक'' स्थापना कराने हेतु प्रयास किए जायेंगे।

(ग) पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन

1. शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., स्काउट एण्ड गाइड, एन.वाई.के. एस., ईको क्लब के युवा समूह व अन्य गैर सरकारी संस्थाओं की सहायता से पर्यावरण के मुद्दों जैसे–जल स्त्रोतों का संरक्षण, वर्षा जल संचयन, प्रदूषण नियंत्रण, वनीकरण व सम्पूर्ण स्वच्छता पर जन जागरूकता अभियान चलाया जायेगा।
2. पर्यावरण संरक्षण शिक्षा को स्कूल पाठ्यक्रम का आवश्यक हिस्सा बनाते हुए क्षेत्रीय वनस्पतियों, वन्यजीवों एवं पारिस्थितिकी तंत्र की जानकारी प्रदान करने वाला साहित्य एवं भ्रमण आदि का आयोजन नियमित रूप से किये जाने चाहिए।
3. पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षारोपण, जलसंरक्षण, भूमिगत जल संवर्द्धन तथा रेगिस्तानीकरण को रोकना एवं पंचायतों व समुदाय की सहायता से कचरा प्रबन्ध की समस्या की से निपटारा हेतु आवश्यक मार्ग दर्शन किया जा सकें।
4. अवेध रूप से वन्य जीव की हत्या को रोकने हेतु विभिन्न युवा समूह से जागरूक किया जाना चाहिए।

(घ) शिक्षा व सतत् ज्ञानः

1. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के विषय में जनजागरूकता अभियान चलाया जायेगा, ताकि युवा वर्ग इससे पूर्ण रूप से लाभान्वित हो सके।
2. उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में अधिक रोजगारपरक व्यायसायिक पाठ्यक्रम शामिल किये जायेंगे।
3. ग्रामीण स्कुलों व दूरस्थ स्थानों में, जहां मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का भी अभाव होता है, टीचिंग स्टाफ की गुणवत्ता में सुधार के प्रयास किए जायेंगे।
4. 'क्षेत्रिय भाषाओं में शिक्षण प्रशिक्षण समग्री तैयार करके 'मूल्य आधारित शिक्षा'' को निजी व सरकारी स्कूलों में आवश्यक बनाये जाने की आवश्यकता है। स्कूलों के पाठ्यक्रम में जीवन कौशल व मनो–सामाजिक क्षमता संबंधी पाठ्यक्रम का समावेश सीनियर स्तर पर किया जायेगा।
5. औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से वंचित युवाओं को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से खुले विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ायी जाने का प्रयास किया जायेगा।
6. आवासीय विद्यालय में विशेषयोग्यजन वाले विधार्थी के लिए शिक्षण प्रशिक्षण व्यवस्था करनी होगी।

(ङ) स्वास्थ्य एवं स्वच्छ जीवन शैली

1. युवाओं में नशा, धूम्रपान निषेध, मद्य सेवन, एच.आई.वी. एड्स व अन्य संक्रमण वाली बिमारियों से बचाव, टीकाकरण, योग, खेलकूद, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य व सफाई तथा पोषण आदि विषयों पर जन जागरूकता अभियान चलाया जायेगा ।
2. स्वस्थ एवं स्वच्छ जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया जायेगा तथा खेल व योग आदि को जीवन का अभिन्न अंग बनाये जाने कि दिशा में कार्य किया जायेगा।
3. युवाओं की स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु ''युवा स्वास्थ्य टास्क फोर्स'' का गठन किया जायेगा। यह कार्य दल स्वास्थ्य व चिकित्सा विभाग से संबंधित संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर कैंसर, डायबिटिज, टी0बी0, हद्य संबंधी बीमारियों व अन्य बीमारियों के संबंध में जागरूकता अभियान चलायेगा तथा इनसे बचाव व नियंत्रण की दिशा में भी कार्य करेगा।

(च) खेल, साहसिक गतिविधियां एवं मनोरंजन सुविधाओं का विकास

1. खेलकुद, शारीरिक शिक्षा व योग को जीवन का एक अभिन्न अंग बनाकर जन अभियान के रूप में सवंर्द्धित किया जायेगा।
2. प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक ''खेल क्लब'' का गठन सुनिश्चित किया जायेगा, जिसके नियंत्रण में खेल मैदान, खेल उपकरण व कोच इत्यादी की सुवधिा प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।
3. ग्राम पंचायत व ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।
4. साहसिक खेलों के विकास हेतु प्रशिक्षण की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी।
5. युवाओं में मंनोरंजन, कला एव शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से सामाजिक मंनोरंजन कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन नियमित रूप से होना चाहिए, जिसके लिए धन व्यवस्था अन्तर्विभागीय सहयोग एवं जन सहयोग से आसानी से कि जा सकती हैं।

(छ) आपदा प्रबन्धन

1. आपदा प्रबंधन के क्षेत्र की विशिष्ट संस्थाओं के सहयोग से युवा समूहों, राष्ट्रीय सेवा योजना व अन्य स्वयंसेवी संगठनो के सदस्यों को आपदा प्रबन्धन संबंधी आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा, जिसमें प्राथमिक चिकित्सा संबंधी जानकारी भी शामिल होगी।
2. प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए पंचायतों को शिक्षित व सुदृढ़ किया जायेगा।
3. मानव जनित आपदाओं से बचाव हेतु भी प्रशिक्षण प्रदान कराया जायेगा।

(ज) सामुदायिक विकास कार्यो में युवाओं की सहभागिता

1. समुदाय आधारित परियोजनाओं व कार्यक्रमों में युवा डाक्टरों, नर्सों, शिक्षकों, कम्प्यूटर विशेषज्ञों व इंजीनियरों की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।
2. विभिन्न वर्ग के युवाओं, व्यवसायिक युवा, छात्र युवा, गैर छात्र युवा, ग्रामीण युवा, जनजातिय युवा, विशेष योग्यता वाले, विशेषयोग्जन युवाओं को जोड़कर सामुदायिक सेवा के माध्यम से राष्ट्र व राज्य के विकास में मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा।
3. सामुदायिक सेवा कार्यक्रमों को अधिक से अधिक लोगो तक पहुचाने के उद्देश्य से इन्हें व्यावसायिक संस्थानों और कालेजों में भी चलाए जाने के प्रयास किये जायेंगें।

(झ) किशोर युवाओं का सशक्तीकरण

1. माध्यमिक स्कूली बच्चों के सम्पूर्ण विकास हेतु कार्यक्रमों का विकास किया जायेगा, जिसमें पारस्परिक समप्रेषण, सकारात्मक एवं उत्पादक संबंधों का विकास, आत्मज्ञान, आत्मविश्वास व स्वाभिमान, जीवन का ध्येय तय करना एवं उसे प्राप्त करना, सकारात्मक जीवन शैली, तनाव से मुक्ति आदि क्षेत्र शामिल होंगें।
2. प्रत्येक स्कूल में परामर्शीय (काउन्सिलिंग) सुविधाओं का विकास किया जायेगा।
3. एच0आई0वी0/एड्स व अन्य स्वास्थ्य संबंधी जानकारी युवा विद्यार्थियों व अभिभावकों को युवा समूह, राष्ट्रीय सेवा योजना व स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से दी जायेगी।
4. माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में जीवन कौशल व मनो–सामाजिक विषयों का समावेश किया जायेगा।

(ट) सामाजिक कुप्रथाओं के विरूद्ध अभियान

1. पंचायत एवं स्थानीय निकायों, युवा समूह, राष्ट्रीय सेवा योजना व स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से दहेज प्रथा, बाल विवाह व बलि प्रथा जैसी समस्याओं पर जनजागरूकता कार्यक्रम व अभियान चलाया जायेगां, जिसमें इन समस्याओं के आर्थिक, सामाजिक व कानूनी पहलूओं पर भी जानकारी दी जायेगी।
2. शायन के संबंधित विभाग के सहयोग से सामूहिक विवाह के कार्यक्रमों के आयोजन पर बल दिया जायेंगा तथा युवा समूह द्वारा दहेज रहित विवाह करने वाले युवा जोड़ो को पुरस्कृत किया जायेगा।
3. पूलिस सुरक्षा, परामर्श व कानूनी सहायता द्वारा भी घरेलु हिंसा, दहेज प्रथा, बाल विवाह आदि समस्याओं के ग्रस्त युवाओं को सहायता प्रदान की जायेगी।

(ठ) लैंगिक न्याय एवं समानता को बढ़ावा देना

1. युवा वर्ग, एनएसएस, एनसीसी, स्काउट एवं गाईड, एनवाईकेएस युवा स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के सहयोग से युवतियों के यौन शोषण एवं उत्पीड़न, हिंसा आदि से मुक्ति, एवं बालिका गरिमा को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु जनजागरूकता अभियान चलायेगा व पीड़ीत महिलाओं को एक आधार उवलब्ध करायेगा, जहां वे अपने विचार व शिकायत दर्ज कर सकेंगे।
2. एन0एस0एस0 के माध्यम से स्कूलों एवं कालेजो लिंग न्याय संबंधी विषय पर विचार गोष्ठियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों व नाटको द्वारा जनजागरूकता अभियान चलाया जायेगा।
3. युवा महिलाओं को सस्ती एवं मुफ्त कानूनी सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कदम उठाये जायेंगें।
4. स्कूल के ड्राप आउट लड़कियों के लिए पुनः शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके परिवार को पंचायतो के सहयोग से प्रोत्साहित किया जायेगा।
5. कन्या भ्रुण हत्या को रोकने के लिए पंचायतों के सहयोग से गर्भवती महिलायें का डेटा बैंक तैयार किया जायेगा तथा ऐसे परिवारों को सम्मानित किया जायेगा, जिनकी सिर्फ लड़कियां है।
6. शैक्षणिक संस्थाओं में इससे सम्बन्धित अध्याय विषय वस्तु में रखे जाने चाहिए। बालिकाओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, कुपोषण, मासिक धर्म सम्बन्धित भ्रांति एवं संक्रमण के प्रति जागरुकता एवं ईलाज आदि पर ध्यान दिया जायेगा।

(ड) युवा एवं स्थानीय प्रसाशन

1. युवा समूह, राष्ट्रीय सेवा योजना व स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से स्थानीय निकायों, राज्य विधानसभाओं एवं लोकसभा के युवा निर्वाचित प्रतिनिधियों से सम्पर्क स्थापित कर, उन्हें युवाओं से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया जायेगा।
2. सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रयोग द्वारा सभी स्तरो पर उत्तरदायित्व व सुशासन हेतु प्रयास किए जायेंगे।

(ढ) मलिन, कच्ची बस्तियों में रहने वाले युवाओं का विकास

1. गन्दगी में प्लास्टिक थैलिया व अन्य सामान एकत्रित करने वाले युवाओं का युवा समूह के माध्यम से व्यक्तिव विकास किया जायेगा।
2. वंचित वर्ग के युवाओं में अशिक्षा के कारण स्थापित समस्याओं जैसे नशावृति, चोरी, सट्टा, हिंसा व पारिवारिक बिखराव आदि समस्याओं से मानसिक रूप से निपटने के लिए एवं मुख्य धारा में पुनर्वास के लिए एकीकृत परामर्श एवं सहायता के केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।

(ण) पर्यटन से जुड़े युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम :

1. युवा वर्ग में पर्यटन गाईड, होटल उद्योग, पर्यटकों के आवागमन से सम्बन्धित उद्योग तथा हस्तशिल्प ग्रामोद्योग आदि क्षेत्रों से जोडने का प्रयास किया जायेगा।
2. युवाओं को पर्यटक क्षेत्र में जोडने के लिए राजकिय नियमों के दायरे में रह कर प्रशिक्षण, ऋण देकर तथा परामर्श केन्द्रों की स्थापना पर्यटक विभाग द्वारा की जायेगी।

(त) सांस्कृतिक धरोहर की संरक्षण एवं संवर्द्धन

1. युवा समूह, विद्यार्थियों एवं अन्य युवाओं को हमारी सांस्कृतिक धरोहरों से रू–ब–रू कराने के लिए उन स्थानों की यात्राएं कराई जाएंगी।
2. सांस्कृतिक धरोहरों की हिफाजत के लिए उन स्थानों पर खेल–कूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। युवा नेता रैली, जन सम्पर्क, नुक्कड़ नाटक, युवा सम्मेलन आदि का आयोजन इस संबंध में किए जाएंगे।
3. शिक्षा विभाग, पर्यटन विभाग, जनसम्पर्क विभाग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं स्वयंसेवी संगठनों को सांस्कृतिक ध्रोहर संरक्षण कार्य से जोड़कर सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण ब्रिगेड गठित की जाएगी।

8– मूल्यांकन एवं समीक्षाः

राज्य युवा नीति की क्रियान्वयन से प्रारम्भ होने की तारीख से 05 वर्ष के बाद समीक्षा की जायेगी ताकि उपलब्धियों एवं चुनौतियों के आधार पर युवाओं से संबंधित प्राथमिकताओं में परिवर्तन कर युवाओं का विकास किया जा सके।

9. संदर्भ–

1. राष्ट्रीय युवा नीति–2014
2. राजस्थान राज्य युवा नीति–2013
3. मध्यप्रदेश युवा नीति–
4. उत्तरप्रदेश राज्य युवा नीति–
5. उड़ीसा राज्य युवा नीति–
6. कर्नाटक युवा नीति–
7. हिमाचल प्रदेश युवा नीति–